दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 6183 / 05 / 76 / एक / 2015–16

दिनांक : 10 अगस्त 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद अमरोहा।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (सूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद की शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37 / 83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
आईडीबीआई बैंक	1002104000037878	IFSC Code IBKL001002	53.062

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	अमरोहा	अल्पसंख्यक–37 बजट	हसनपुर	बस्ती शेखुपुरा कायस्थान व गुलशन इकबाल में मेन रोड से मस्जिद तक गली, मस्जिद से बुन्दु के मकान तक गली, मेन रोड से हाजी भोल के मकान तक गली, मेन रोड से हसनैन के मकान तक गली, मेन रोड से बुन्दु के मकान तक गली, माजिद के मकान से कब्रिस्तान वाली गली, सम्भल रोड	34.361
2	अमरोहा	अल्पसंख्यक–37 बजट	हसनपुर	बस्ती कनेटा रोड में रहरा बाई पास रोड से हारून बाग तक (पुलिया), मेन रोड से मुन्ना कुरैशी के मकान तक गली एवं माजिद के मकान से नफीस के मकान तक गली में इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	18.701
	योग				53.062

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0 / परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2 स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4 अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दूरभाष : 2286709
2286710
[illegible] ब्लॉक, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

257/2

[illegible] पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य [illegible] नियम एवं पर्यावरणीय मानकों के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, [illegible] जाये।

[illegible] परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत [illegible] कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

[illegible] परिसम्पत्तियों के सृजन [illegible] उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित [illegible] होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों [illegible] की जाये।

[illegible] अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य कर लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण [illegible] अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण [illegible] अभिकरण को नहीं प्राप्त होते हैं तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

[illegible] द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी [illegible] परियोजनान्तर्गत कार्य समय इस प्रकार कराये जायें कि वे अवमुक्त धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

[illegible] परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की राजीव पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक [illegible] के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया [illegible]।

[illegible] की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी [illegible] शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही [illegible] कार्य/धनराशि की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध [illegible] करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

[illegible] द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की [illegible] प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें [illegible] की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार [illegible] कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित [illegible] पर सूडा अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त [illegible]।

भवदीय,

(ज्ञान प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक

[illegible]
[illegible] को सूचनार्थ प्रेषित।
[illegible] निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
[illegible]
[illegible]
[illegible]

([illegible])
[illegible]